International Journal of Research in Hindi
www.hindijournal.in
ISSN: 2582-3493
Received: 28-08-2022, Accepted: 13-09-2022, Published: 30-09-2022
Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 24-26

नारीवादः स्त्री शक्ति

डॉ. कोंडा चन्द्रा
सहायक आचार्य, एस॰टी॰एस॰एन॰ सरकारी स्नातक कालेज, कदिरि, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश, भारत

सारांश
नारीवाद एक ऐसा सिद्धांत या विचारधारा है जो समाज में महिला एवं पुरुष को समान अधिकार दिलाने की वकालत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार महिला व पुरुष के बीच समाज द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाना चाहिए। प्राकृतिक व लैंगिक अंतर के अलावा कोई भी ऐसा अंतर जो पुरुष और महिला में किया जाता है उसका नारीवाद डटकर विरोध करता है। नारीवाद के कारण आज नारी शिक्षित होकर जागरूक है और आर्थिक रूप से भी स्वावलंबन है। परंपरागत मान्यताएँ एवं नैतिक आदर्श अब नारी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए है।

मूल शब्दः स्वावलंबन, समानता, उत्पीड़न, सिद्धान्त, वाद

प्रस्तावना

नारीवाद नारी के सशक्तीकरण का शस्त्र है। नारीवाद, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों तथा विचारधाराओं की एक श्रेणी है, जो राजनीतिक, आर्थिक,व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से लैंगिक समानता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य में प्रकट किया है। नारीवाद की यह धारणा है कि समाज पुरूष–दृष्टिकोण को ही महत्व देता आया है। इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता आया है। अतः नारीवाद का लक्ष्य पुरुषों के समान शैक्षिक, वृत्तिक और पारस्परिक अवसर एवं परिणाम स्थापित करना है जो पुरुषों के समान हो। नारीवादी सिद्धांत का लक्ष्य लैंगिक असमानता को समझना है। अत; नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणो समझना है और इनके फलस्वरूप होने वाले लेएंगिक भेदभाव के परिणामों की व्याख्या करना है। नारीवादी संबंधी आदर्शों का मूल कथ्य यही होता है कि कानूनी अधिकारों का आधार लिंग न बने।

आधुनिक नारीवादी चिन्तन का प्रारम्भ 18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो से माना जाता है। 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक के वर्षो में नारीवादी गतिविधियों के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। इसको विद्वानों ने 'नारीवाद की लहरों' के नाम से सम्बोधित किया है। नारीवाद की पहली लहर का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो तक माना जाता है जबकि दूसरी लहर जिसे उग्र महिलावाद के नाम से जाना जाता है का समय 60 के दशक के अन्तिम वर्षो में माना जाता है। साठ के दशक में उपजे नारीवाद का मुख्य उद्देश्य यह प्रदर्शित करता था कि सभी महिलायें एक ही प्रकार के शोषण का शिकार होती है परन्तु वर्तमान नारीवाद पुरुष प्रधान समाज में नारी की भिन्न–भिन्न स्थिति की चर्चा तो करता ही है, साथ ही महिला के आपसी सम्बन्धी की भी विवेचना करता है।

समकालीन समाज में जेंडर पर आधारित विभेद किस तरह पूरे जीवन की संरचना करते है। नारीवाद की यह धारणा है कि समाज, पुरूष–दृष्टिकोण को महत्व देता है और इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता रहा है। इसका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक, वृत्तिक और पारस्परिक अवसर और परिणाम स्थापित करना है जो पुरुषों के समान हो। यह पितृसत्ता द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली के प्रति अपने विरोध के मसले पर एकजुट है। नारीवादी सिद्धांत, सैद्धांतिक या दार्शनिक क्षेत्रों में नारीवाद का विस्तार है। यह समाज की संरचना को बिना बदले राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं की व्यक्तिवादी समानता की तलाश करता है।

नारीवाद का तर्क है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण पूंजीवाद है, और घरेलू जीवन और रोजगार में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पूंजीवादी विचारधाराओं का ही परिणाम है। अपने अधिकांश इतिहास के दौरान, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की मध्यम वर्ग की श्वेत महिलाओं द्वारा नारीवादी आंदोलनों और सैद्धांतिक विकास का नेतृत्व किया गया था। हालाँकि अन्य जातियों की महिलाओं ने वैकल्पिक नारीवाद का प्रस्ताव रखा है। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के आंदोलन और अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद के पतन के साथ इस प्रवृत्ति में तेजी आई। उस समय से, विकासशील देशों और पूर्व उपनिवेशों में रहने वाली महिलाएं, जो रंग या विभिन्न जातीयता की हैं या गरीबी में रह रही हैं, ने अतिरिक्त नारीवाद का प्रस्ताव दिया है।

नारीवाद को लेकर विभिन्न समूहों के लोगों की अपनी–अपनी प्रतिक्रिया है, और इसके समर्थकों और आलोचकों में दोनों पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। नारी–समर्थक पुरुष समूहों की गतिविधियों में स्कूलों में लड़कों और युवा पुरुषों के साथ हिंसा रोकने जैसे कार्य, कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न कार्यशालाओं की पेशकश करना, सामुदायिक शिक्षा अभियान चलाना और हिंसा में लिप्त पुरुष अपराधियों को काउंसलिंग देना भी शामिल है। प्रो–फेमिनिस्ट पुरुष, पुरुषों के स्वास्थ्य सम्बंधित कार्यक्रम जैसेः पोर्नोग्राफी के खिलाफ सक्रियता, जिसमें पोर्नोग्राफी विरोधी कानून, पुरुषों का अध्ययन और स्कूलों में लिंग इक्विटी पाठ्यक्रम का विकास आदि में भी शामिल होते है। कभी–कभी नारीवादी और महिला संगठन साथ आकर, घरेलू हिंसा और बलात्कार संकट केंद्रों में सहयोग करते है।

नारीवाद सामान्यतया वह विचारधारा और आन्दोलन है जिसका उद्देश्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो। परम्परागत रूप से और समकालीन जीवन में भी महिलाओं को अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति ही प्राप्त है। नारीवाद का लक्ष्य है इस अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति को समाप्त कर उन्हें परिवार, समाज, राज्य और समूचे विश्व के स्तर पर पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाना। इस प्रकार एक पंक्ति में नारीवाद, नारी समानता (पुरुष से समानता), नारी एकता और नारी सशक्तिकरण का आन्दोलन है। नारीवाद की मांग है कि नारी को अपना हक (समानता का हक), अपने अधिकार और अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व चाहिए। नारीवाद एक विश्वव्यापी आन्दोलन है, कुछ देशों में यह अपने विकास के उच्च स्तर पर है, कुछ देशों में अपेक्षाकृत कम विकसित स्तर पर। सिमोन दिबोवा की प्रसिद्ध पुस्तक The Second Sex में विस्तार में बतलाया गया है कि स्त्री–पुरुष का भेद समाजीकरण का परिणाम है। समाजीकरण (समाज से जुड़े समस्त वातावरण) से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग नारीवाद है।

भारत में नारीवाद, भारतीय महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करने, स्थापित करने, समान अवसर प्रदान करने और उनका बचाव करने के उद्देश्य से आंदोलनों का एक समूह है। संसार भर में अपने नारीवादी समकक्षों की तरह, भारत में भी नारीवादी लैंगिक समानता, समान मजदूरी के लिए काम करने का अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समान अधिकार और समान राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। भारतीय नारीवादियों ने भारत के पितृसत्तात्मक समाज के भीतर संस्कृति–विशिष्ट मुद्दे जैसे कि वंशानुगत कानून और सती जैसी प्रथा के खिलाफ भी लड़ाईयाँ लड़ी है।

भारत में नारीवाद के इतिहास को तीन चरणों में देखा जा सकता हैः पहला चरण, 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ, जब यूरोपीय उपनिवेशवादी, सती की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। दूसरा 1915 से, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिये गांधी के नेतृत्व भारत छोड़ो आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिला संगठन उभरकर आने लगे। अंत में, तीसरा चरण, स्वतंत्रता के बाद, जहाँ शादी के बाद ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता के अधिकार में महिलाओं के प्रति निष्पक्ष व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

भारतीय नारीवादी आंदोलनों द्वारा की गई प्रगति के बावजूद, आधुनिक भारत में रहने वाली महिलाओं को अभी भी भेदभाव के कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय पितृसत्तात्मक संस्कृति ने भूमि–स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने और शिक्षा तक पहुँच को चुनौतीपूर्ण बना दिया। पिछले दो दशकों में, लिंग–चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति को भी ऊभरकर सामने आई। भारतीय नारीवादियों ने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रूप देखा जाता है। नारी की स्वतंत्रता,अस्मिता और समता का पक्ष लेने वाला वाद या सिद्धान्त जो पितृसतात्मक समाज व्यवस्था का और राजनीति के विरोधी को ही नारीवाद की संज्ञा दी है। भारत में नारीवादी आंदोलनों की कुछ आलोचना हुई है। विशेष रूप से पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने और गरीब या निम्न जाती की महिलाओं की जरूरतों और प्रतिनिधित्व की उपेक्षा करने के लिए उनकी आलोचना की गई। जिसका परिणाम यह हुआ की कई जाति–विशेष के नारीवादी संगठनों और आंदोलनों का उदय हुआ।

नारीवाद की विशेषताएँ या लक्षण :

1. नारीवाद मैरिज सिस्टम या विवाह संस्कार (एक स्त्री और एक पुरुष के बीच काम सम्बन्धों को मर्यादित करने की व्यवस्था) और परिवार संस्था का विरोधी नहीं है। नारीवाद पुरुष को धिक्कारना नहीं है, पुरुष को अस्वीकार करना नहीं है पुरुष को केवल समानता, पूर्ण समानता के आधार पर स्वीकार करना है। नारीवाद विवाह विरोधी या परिवार विरोधी तो नहीं है, लेकिन इस बात पर अवश्यक ही बल देता है कि विवाह और परिवार नारी के लिए केवल उतनी ही सीमा तक आवश्यक है, जितना सीमा तक यह पुरुष के लिए आवश्यक है।
2. नारीवाद इस बात पर बल देता है कि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से, नारी किसी भी पुरुष से कम नहीं है तथा उसे आवश्यक शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान स्तर पर कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। वह पुरुष से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखती है तथा उसे यह अधिकार प्राप्त होना ही है।
3. नारीवाद इस बात पर बल देता है कि राजनीति में नारी को लगभग बराबरी की भागीदारी (कम से कम एक–तिहाई भागीदारी अवश्य ही) प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएँ न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता और क्षमता रखती है वरन् वे इस कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक योग्य और सक्षम हैं। राजनीतिक क्षेत्र में श्रीमति गांधी, श्रीमती भण्डारनायके, माग्रेट थैचर और गोल्डा मायर आदि महिलाओं ने जिस सुयोग्य नेतृत्व का परिचय दिया, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है।
4. नारीवाद इस बात पर बल देता है कि यदि नारी को उत्थान और विकास कि दिशा में आगे बढ़ना है तो यह कार्य नारी एकता और संगठन तथा स्थानीय प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी–नारी सहयोग के आधार पर ही सम्भव है।विभिन्न देशों के अधिकार पत्रों में नारी–पुरुषों के लिये समान अधिकार की बात कही गयी है। संयुक्त राष्ट्र शंघ द्वारा मानवीय अधिकारों का सार्वलौकिक घोषणापत्र स्वीकार किये हुए इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका है लेकिन आज तक भी महिला वर्ग के हित और अधिकार सुरक्षित नहीं है। महिला वर्ग की इस गिरी हुई स्थिति के मूल कारण महिलाओं में शिक्षा का अभाव तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव है। इसके अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार के मार्ग में एक प्रमुख बाधक तत्व हैदृसामाजिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, और अन्धविश्वास।

भारत में महिला संगठन (Women's Organization in India)

विगत कुछ वर्षों में स्त्री द्वारा पुरुष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिक तथ्य बन चुकी है। इस मांग के कारण कुछ नारी संगठनों ने नारियों में चेतना जाग्रत करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से प्रयत्न किये हैं। मध्यम वर्गीय महिलाओं ने कीमतों में निरन्तर वृद्धि के मुद्दे को उठाया है और घरेलू स्त्रियों ने पुरुषों के साथ समानता की माँग की है। सर्वप्रथम चेन्नई में भारतीय महिला संघ का गठन किया गया। इसके बाद विभिन्न महिला संगठनों के प्रयत्नों से

देश में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई है। इस संगठन के अलावा विश्वविद्यालय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मण्डल, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था एवं कस्तूरबा गाँधी स्मारक ट्रस्ट आदि स्त्री संगठनों ने स्त्रियों की नियोग्यताओं को दूर करने, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और स्त्री शिक्षा का प्रसार करने की दृष्टि से कार्य किया है। विश्वव्यापी स्तर पर भी नारियों की स्थिति में सुधार के लिये कुछ प्रयत्न किये गये हैं। नारी संगठनों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप नारियों की स्थिति में सुधार के लिये भारत में कुछ अधिनियम पारित हुए हैं जैसे—हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि। यही नहीं कुछ अन्य संवेधानिक प्रयत्न भी किये गये हैं जिसमें पंचायत संस्थाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव में एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये हैं तथा संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस निरन्तर जारी है। जिसमें विधानसभा और लोकसभा में एक तिहाई पद महिलाओं के लिये आरक्षित होने की बात कही गई है ताकि महिलायें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और नीति निर्माण के स्तर पर उनकी सहभागिता रहे। इस प्रकार अधिकारों की दृष्टि से नारी और पुरुष में भेद करना उतना ही अनुचित है जितना लिंग के आधार पर भेदभाव करना। किसी भी सभ्य समाज में स्वतन्त्रता और अधिकार की दृष्टि से महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं किया जाता है उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए जो एक सुसंस्कृत सुसभ्य समाज की कसौटी है।

संदर्भ ग्रंथ

1. पंचशील शोध – समीक्षा – पृष्ठ 87
2. आजकल : मार्च 2013 – पृष्ठ 24
3. आजकल : मार्च 2011 – पृष्ठ 25
4. पंचशील शोध – समीक्षा – पृष्ठ 61